विचार बिन्दु

केवल आत्मज्ञान ही हृदयात्मा को सच्चा आनंद प्रदान करता है। –रामतीर्थ

आधी सदी पहले के आपातकाल को याद रखना अब भी जरूरी

राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। घबराने की कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 की सुबह 'ऑल इंडिया रेडियो' पर देशवसियों के नाम संदेश में कहा। इस खबर को सुनने वाले उतने ही बेखबर थे, जितने कि श्रीमती गांधी के मंत्रीमंडल के सदस्य। मंत्रीमंडल को आपातकाल लगाने की सूचना प्रधानमंत्री के आकाशवाणी स्टूडियो जाने के लिए रवाना होने से कुछ समय पहले ही दी गई। आपातकाल की घोषणा पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने पिछली 25 जून की रात ही हस्ताक्षर कर दिए थे जिसके तुरंत बाद, देश भर के अखबारों के दफ्तरों की बिजली सप्लाई काट दी गई और 26 जून की पौ फटने से पहले, देश भर में सैकड़ों राजनीतिक नेताओं, कार्यकर्ताओं और सामाजिक तथा मजदूर संगठनों के लोगों को घरों से उठा लाकर जेल में डाल दिया गया। आधी सदी पहले हुआ यह घटनाक्रम भारतीय लोकतंत्र के काले अध्याय के रूप में जाना जाता है। देश में 21 महीने तक चले आपातकाल को दु:स्वप्न मान कर भुला दिये जाने के लिए अब भी लोग तैयार नहीं है, क्योंकि वे देश की संसदीय प्रक्रिया को दबाते हुए अपना लोकतांत्रिक भाग्य किसी एक व्यक्ति के हाथों सौंपने के खतरों को याद रखना चाहते हैं। ''जो काम इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा कर एक झटके में किया, आज वे सभी काम धीरे-धीरे कानून बदल कर किए जा रहे हैं,'' यह कथन केवल किसी राजनैतिक विचारधारा की आलोचना नहीं, बल्कि लोकतंत्र के स्वरूप और उसकी आत्मा पर गहरी चिंता की अभिव्यक्ति है। 1975 में जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नागरिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और प्रेस की आज़ादी को कुचल दिया गया वहीं नियंत्रण और दमनात्मक प्रवृत्तियां धीरे-धीरे 'कानूनी सुधारों' और 'राष्ट्रीय हित' के नाम पर वापस आती दिख रही हैं। आपातकाल में जो किया गया वह तानाशाही मानी गई। आज जब उसी प्रकार के नियंत्रण संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लागू किए जा रहे हैं। आपातकाल के पीछे भी संवैधानिक वैधता थी तो आज भी सब कुछ कानूनी वैधता की आड में होता है। डिजिटल मीडिया पर नियंत्रण, निगरानी कानूनों का विस्तार, गोपनीयता के अधिकारों की अनदेखी, जानकारी के अधिकार का कानून कमजोर किया जाना, असहमति जताने वालों पर राजद्रोह या यूएपीए जैसे कठोर कानूनों का प्रयोग, बुलडोजर न्याय - ये सभी कदम आपातकाल की ही पुनरावृत्ति जैसे हैं क्योंकि कानूनों का प्रभाव उस भावना से होता है जिससे वे क्रियान्वित किए जाते है।

पचास साल पहले आपातकाल का लक्ष्य आंतरिक अशांति को नियंत्रित करना बताया गया था। इंदिरा गांधी ने तब इसे राष्ट्रीय हित में कठोर कदम बताते हुए उसे मुख्य रूप से तीन आधारों पर उचित ठहराया था। पहला था जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू किया गया आंदोलन, जो उनके मुताबिक,भारत की सुरक्षा और लोकतंत्र खतरे में डाल रहा था। दूसरा उनका मानना था कि तेजी से आर्थिक विकास और वंचितों के उत्थान के लिए काम में कानून और संवैधानिक प्रावधान बाधा डाल रहे थे। तीसरे, उन्होंने विदेशी शक्तियों के हस्तक्षेप की बात की और कहा कि वे भारत को अस्थिर और कमजोर कर सकती हैं। वास्तव में आपातकाल उस प्रक्रिया की परिणति थी जो 1973 में शुरू हुई थी। इस प्रक्रिया में एक प्रमुख कारक जयप्रकाश नारायण का सक्रिय राजनीति में फिर से उभरना था, जो भारतीय युवकों को एकजुट करने वाले सम्पूर्ण क्रांति आंदोलन के प्रणेता बने। वे काफी समय से सक्रिय राजनीति से दूर विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन में समर्पित भाव से लगे थे। देश में बढ़ते राजनीतिक भ्रष्टाचार और बिगड़ती आर्थिक स्थिति तथा शैक्षिक मानकों में भयावह गिरावट और परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों से आम लोगों की बेचैनी के चलते वे सरकार विरोधी आंदोलनों से जुडते चले गये और प्रतिरोध के प्रतीक बन गये। आपातकाल लागू होने की भूमिका बनने का एक बड़ा सबब 12 जून का इलाहाबाद हाईकोर्ट का वह निर्णय भी बना जिसमें इंदिरा गांधी का राय बरेली से निर्वाचन रद्द कर दिया गया था। वह फैसला इंदिरा गांधी के विरुद्ध उभर रहे जन आक्रोश की ताबूत में अंतिम कील साबित हुआ। इस अदालती निर्णय ने विपक्ष के इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री पद से स्तीफ़े की मांग को नैतिक धार दे दी। उस माहौल में इंदिरा गांधी के हाथ मजबूत करने के लिए 18 जून को दिल्ली में मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। 20 जून को सारी सरकारी व्यवस्थाओं की मदद से कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के समर्थन में दिल्ली में एक विशाल रैली की। उसमें वक्ताओं ने इंदिरा गांधी की प्रशंसा के पुल बांधे। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने अपने भाषण में कहा -इंदिरा, तेरी सुबह की जय, तेरी शाम की जय, तेरे काम की जय, तेरे नाम की जय..! वहीं दूसरी तरफ 21 और 22 जून को विपक्षी पार्टियों के 'जनता मोर्चा' के कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक दिल्ली में हुई। इसमें इंदिरा गांधी के त्यागपत्र की मांग करने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करने का निर्णय हुआ। जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन में सम्मिलित होने की स्वीकृति दे दी। विपक्षी दलों ने 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन किया। जिसमें लोगों का उत्साह साफ नज़र आ रहा था। रैली में मोरारजी देसाई, नानाजी देशमुख, जॉर्ज फर्नांडीज, मदनलाल खुराना आदि नेताओं के भाषण हुए। समापन के भाषण में जयप्रकाश नारायण ने सभा में मौजूद लोगों से प्रश्न किया, ''देश में नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना करने के लिए यदि जेल जाना पड़े तो कौन-कौन जाने के लिए तैयार हैं?'' सभी ने हाथ खड़े किए। जेपी ने पांच सदस्यों की लोक संघर्ष समिति की घोषणा की। इसके अध्यक्ष थे मोरारजी भाई देसाई और सचिव नानाजी देशमुख। इस रैली में जयप्रकाश नारायण एक नये नेतृत्व के रूप में सामने आये।

> ''जो काम इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा कर एक झटके में किया, आज वे सभी काम धीरे-धीरे कानून बदल कर किए जा रहे हैं,'' यह कथन केवल किसी राजनैतिक विचारधारा की आलोचना नहीं, बल्कि लोकतंत्र के स्वरूप और उसकी आत्मा पर गहरी चिंता की अभिव्यक्ति है।

उसी रात इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश मे आपातकाल लगाने वाले अध्यादेश पर हस्ताक्षर कराने के लिए राष्ट्रपति भवन गई। राष्ट्रपति ने केन्द्रीय मंत्रीमंडल की पीठ पीछे लाये गये अध्यादेश पर 25 जून की रात पौने बारह बजे हस्ताक्षर कर कर दिए। बाद में दिन उगते समय मंत्रियों को बुलाकर मंत्रिमंडल की बैठक की गई जिसमें राष्ट्रपति को भेजे जाने वाले उस प्रस्ताव के अनुमोदन पर सबके हस्ताक्षर करवाये गये जिस पर राष्ट्रपति पहले ही हस्ताक्षर कर चुके थे और देश में आपातकाल लागू हो चुका था। देश में संविधान सम्मत आंतरिक आपातकाल लगाने का सुझाव देने वाले थे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे, जो स्वयं बड़े विधिवेत्ता थे। इमरजेंसी लगाने के पीछे इंदिरा गांधी के नेतृत्व को मिलने वाली चुनौती प्रमुख थी। इसी कारण इंदिरा गांधी पर तानाशाह होने की तोहमत हमेशा के लिए चस्पा हो गई। 21 महीने लंबे आपातकाल के दौरान सरकार ने कई बार संविधान में संशोधन किये, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर के पदों के लिए चुनाव को अदालतों की जांच से परे रखना और संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल करना शामिल था। विभिन्न कानूनों में संशोधनों ने शक्ति संतुलन को केंद्र के पक्ष में कर दिया और उच्च न्यायपालिका की शक्तियों को कम कर दिया। आपातकाल लागू होने के बाद 1975 में 26 अध्यादेश जारी किए गए, जबकि 1976 में 16 अध्यादेश लाए गए। 1977 में, आपातकाल समाप्त होने से पहले, छह अध्यादेश जारी किए गए।

पचास साल पहले के काल और वर्तमान में एक फ़र्क जरूर है कि आज कमी की जगह इफ़रात की अर्थव्यवस्था है, जिसमें मध्यमवर्ग खुश है। यही वर्ग है जो प्रतिरोध की आवाज़ बनता है। यह वर्ग उत्पादन क्षेत्र का मजदूर या छोटा किसान नहीं है बल्कि वह सेवा क्षेत्र में बुलंदियां छूने वाली युवा पीढ़ी है। गरीबी है किन्तु देश की आर्थिक स्थिति बेहतर है। बाज़ार खूब सजे हुए हैं जहां चीजों की कोई किल्लत नहीं है। गरीबी नहीं मिटी है। गरीबों को सीधा राशन और पैसा देकर उन्हें संतुष्ट रखा जा रहा है। महत्वपूर्ण विधेयक बिना पर्याप्त बहस के पारित किए जा रहे हैं, मुख्य धारा के मीडिया का एक बड़ा वर्ग सरकारी प्रवक्ता जैसा व्यवहार कर रहा है। न्यायपालिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। यह सब लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं हैं। लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं होता, वह जनता के अधिकारों, संस्थाओं की स्वायत्तता, असहमति के अधिकार और जवाबदेही की प्रवित्र प्रणाली से संचालित होता है। यदि इन मूल तत्वों को धीरे-धीरे खत्म कर दिया जाए, तो वह लोकतंत्र केवल काग़ज़ी ढांचा रह जाता है, जिसकी आत्मा मर चुकी होती है। इंदिरा गांधी के आपातकाल का जनता ने प्रतिरोध सडकों पर नहीं मतदान केंद्रों पर जाकर किया। परन्तु आज लगता है प्रतिकार करना कठिन है, क्योंकि बहुमत और लोकप्रियता ऐसा नशा होती है जो किसी भी नेता को बहक जाने का आधार देती है। राजनीति का स्वरूप भी बदल गया है। चुनावों में पार्टियों के उम्मीदवार अब आला कमानें तय करती हैं। इसलिए यह समय आधी सदी पहले के आपातकाल को याद करने का ही नहीं, बल्कि आगे के लिए चेतने और सचेत रहने का है। जैसा कि तब जयप्रकाश नारायण ने इंदिरागांधी को पत्र लिख कर कहा था कृपया उन नींवों को नष्ट न करें जिन्हें हमारे पुरखों ने, जिनमें आपके महान पिता भी शामिल हैं, रखी थीं। आपको एक महान परंपरा, महान मूल्य और एक कार्यशील लोकतंत्र विरासत में मिला है। इन सबको फिर से एक साथ लाने में बहुत समय लगेगा। यही बात आज भी प्रासंगिक है।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

पूर्वजों की स्मृति का पर्व : आषाढ़ अमावस्या का आध्यात्मिक महत्व

आषाढ़ अमावस्या न केवल पितरों की स्मृति का पर्व है, बल्कि प्रकृति के साथ आत्मा के पुनर्संयोजन का भी अवसर है

श्वेता यादव

हर अमावस्या की तिथि हिंदू धर्म में विशिष्ट मानी जाती है. लेकिन आषाढ़ अमावस्या का स्थान विशेष है। यह न केवल पितरों की स्मृति का पर्व है, बल्कि प्रकृति के साथ आत्मा के पुनर्संयोजन का भी अवसर है। वर्ष 2025 में यह तिथि 25 जून, बुधवार को आ रही है और इस दिन को लेकर धार्मिक जनमानस में विशेष उत्साह देखा जाता है। आषाढ़ मास की यह अमावस्या वर्षा ऋतु के आरंभ की सूचना लेकर आती है। आसमान में गहराते बादल, भूमि की सोंधी गंध और जल के स्पर्श में एक आध्यात्मिक भाव स्वत: जाठात हो जाता है। यह समय केवल बाहा जलवृष्टि का नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि और आत्मचिंतन का भी अवसर है।

धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस दिन पित्त तर्पण का विशेष महत्व है। यह तिथि पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने, उनके लिए जल-तिल अर्पण करने और उनकी आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना करने का पुण्य अवसर है। मान्यता है कि इस दिन पितृलोक के द्वार खुलते हैं और हमारे द्वारा किया गया तर्पण सीधा पितरों तक पहुंचता है। कई पुराणों में उल्लेख मिलता है कि पितरों की प्रसन्नता से जीवन में धन, संतान, सुख-शांति और उन्नित की प्राप्ति होती है। आषाढ़ अमावस्या को किया गया तर्पण, दान और ब्राह्मण सेवा सात पीढ़ियों तक पुण्यफल प्रदान करता है। इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। पीपल में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना गया है। इसके अतिरिक्त पितृगणों का भी इस वृक्ष में निवास होता है। श्रद्धालु प्रात:काल स्नान कर पीपल को जल चढ़ाते हैं. दीपक जलाते हैं और परिक्रमा करते हैं। यह कर्म न केवल पितृ कृपा को प्राप्त करता है, बल्कि अनेक जन्मों के पापों का क्षय भी करता है।

एक कथा के अनुसार, एक निर्धन ब्राह्मण ने इस दिन केवल तुलसीदल और जल से अपने पितरों को तर्पण किया। उसकी भावना इतनी शुद्ध थी कि पितृगण अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे धन, यश और संतान की प्राप्ति हुई। यह कथा हमें बताती है कि तर्पण केवल सामग्री से नहीं, बल्कि श्रद्धा और भावना से सफल होता है।

धार्मिक परंपराओं के अनुसार, इस दिन उपवास, गायत्री मंत्र जाप, भगवान विष्णु और शिव का पूजन. तथा दान-पुण्य करना विशेष फलदायी होता है। खासकर काले तिल, जल, वस्त्र, अन्न और छाता का दान गरीबों और ब्राह्मणों को देना पितरों को प्रसन्न करता है। साथ ही यह समय आध्यात्मिक साधना के लिए भी श्रेष्ठ माना गया है। ध्यान, मौन और आत्मावलोकन से मन शांत होता है और पितरों की आत्मा से भी जुड़ाव गहरा होता है। आषाढ़ अमावस्या का यह दिन केवल पितृ तर्पण या दान का अवसर नहीं, बल्कि अपने जीवन में उन संस्कारों को दोहराने का भी समय है जो हमें परंपरा, प्रकृति और पितरों से जोड़ते हैं। यह एक प्रकार का आध्यात्मिक नवसंस्कार है, जिसमें हम भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक सूत्र में बांधते हैं। वर्ष 2025 की यह आषाढ़ अमावस्या हमें पुन: याद दिलाती है कि पितरों की स्मृति केवल एक रस्म नहीं, बल्कि एक जीवंत कड़ी है. जो हमारी जड़ों से हमें जोड़ती है। आइए, इस दिन हम सभी श्रद्धा से अपने पूर्वजों को स्मरण करें, उनके लिए प्रार्थना करें और अपनी अगली पीढ़ियों को भी इस परंपरा की शक्ति और भाव समझाएं।

श्वेता यादव
वरिष्ठ लेखिका।

एक डिग्री के लिए तो शिक्षक है नहीं और हम बात एक साथ दो डिग्री की करते हैं?

विश्वविद्यालयों में एक साथ दो डिग्रियों को मान्य करना एक प्रगतिशील कदम है जो छात्रों को अधिक लचीलापन और अवसर प्रदान करता है

अशोक कुमार

भारत में विश्वविद्यालयों में एक साथ दो डिग्रियां मान्य होने के नियम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्वीकृति दे दी है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (2020) के तहत छात्रों को अधिक लचीलापन और बहु-विषयक शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। विश्वविद्यालयों में एक साथ दो डिग्रियों को मान्य करना एक प्रगतिशील कदम है जो छात्रों को अधिक लचीलापन और अवसर प्रदान करता है।

अकादमिक दृष्टिकोण से, यह छात्रों के ज्ञान के क्षितिज को व्यापक बनाने और उन्हें भविष्य के लिए अधिक तैयार करने की क्षमता रखता है। दोहरी डिग्री का प्रावधान उच्च शिक्षा में एक सकारात्मक बदलाव हो सकता है, लेकिन इसकी सफलता शिक्षकों की कमी, नियुक्ति, फर्जीवाड़े को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर बहुत निर्भर करेगी। यदि इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना नहीं किया जाता है, तो यह नीति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल हो सकती है और शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकती है।

भारत में उच्च शिक्षा के सामने शिक्षकों की कमी एक गंभीर और पुरानी समस्या है। ऐसे में जब हम एक साथ दो डिग्रियों की बात करते हैं, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या हमारे पास पर्याप्त शिक्षक और संसाधन हैं जो इस नई व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू कर सकें। शिक्षकों की कमी के बावजूद दोहरी डिग्री की बात करना एक बड़ी चुनौती है। यह दर्शाता है कि नीतिगत सुधारों को लागू करने से पहले जमीनी हकीकत और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता का आकलन करना कितना महत्वपूर्ण है।

शिक्षकों की कमी और दोहरी डिग्री: एक विरोधाभास?

मौजूदा कमी: देशभर के कई विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। विशेषकर सरकारी संस्थानों में, संकाय की कमी अक्सर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में बाधा डालती है। कुछ विषयों में तो विशेषज्ञ शिक्षकों का अभाव और भी अधिक होता है।

कार्यभार में वृद्धि: यदि छात्र बड़ी संख्या में दोहरी डिग्री कार्यक्रमों का विकल्प चुनते हैं, तो शिक्षकों पर कार्यभार और भी बढ़ जाएगा। उन्हें एक साथ दो अलग-अलग पाठ्यक्रमों के छात्रों को पढ़ाना, मूल्यांकन करना और मार्गदर्शन देना पड़ सकता है।

विशेषज्ञता का अभाव: एक शिक्षक भले ही अपने मूल विषय में विशेषज्ञ हो, लेकिन दोहरी डिग्री के तहत दूसरे विषय को पढ़ाने के लिए उसे उस विषय में भी पर्याप्त ज्ञान और विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी। यदि ऐसा नहीं होता है, तो दोनों ही डिग्रियों की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।

संसाधन और ढांचागत कमी: शिक्षकों की कमी के साथ-साथ, कई संस्थानों में पर्याप्त क्लासरूम, प्रयोगशालाएं और अन्य शिक्षण-अधिगम संसाधन भी कम होते हैं। दोहरी डिग्री के लिए इन्हें भी बढ़ाना होगा। निश्चित रूप से, यह भी चिंता बिल्कुल जायज है कि दोहरी डिग्री के प्रावधान से फर्जी डिग्रियों की संभावना बढ़ सकती है। यह एक गंभीर चुनौती है जिस पर नियामक निकायों, विशेषकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विश्वविद्यालयों को गंभीरता से ध्यान देना होगा

दोहरी डिग्री का प्रावधान की सफलता फर्जीवाड़े को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर भी बहुत निर्भर करेगी। यदि इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना नहीं किया जाता है, तो यह नीति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल हो सकती है और शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकती है।

निजी विश्वविद्यालय निश्चित रूप से इस नीति का लाभ उठाएंगे, और यह उनके लिए छात्रों को आकर्षित करने और नए कार्यक्रम विकसित करने का एक अवसर है। हालांकि, नियामक निकायों को यह सुनिश्चित करना होगा कि निजी विश्वविद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखें और केवल वाणिज्यिक लाभ के लिए छात्रों का शोषण न करें। अंतत:, इस नीति की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे कितनी अच्छी तरह लागू किया जाता है और विश्वविद्यालय छात्रों के लिए एक सहायक और गुणवत्तापूर्ण सीखने का माहौल कैसे प्रदान करते हैं।

–अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति कानपुर,
गोरखपुर विश्वविद्यालय,
विभागाध्यक्ष राजस्थान
विश्वविद्यालय जयपुर

प्रदेश में ट्रांसफर की आस लगाए बैठे थर्ड ग्रेड शिक्षक मायूस

थर्ड ग्रेड शिक्षकों की परेशानी इसलिए सबसे ज्यादा है, क्योंकि इनके ट्रांसफर पर बैन सात साल पहले खुला था

बीकानेर, (निसं)। ट्रांसफर की आस लगाए बैठे थर्ड ग्रेड शिक्षक मायूस है। गर्मी की छुट्टियां खत्म होने को है। सात दिन बाद नया शिक्षा सत्र शुरू हो जाएगा, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ना तबादले हुए ना ही प्रमोशन हुये। ये वो आबादी है जो शिक्षा विभाग की बड़ा हिस्सा है। प्रारंभिक-माध्यमिक शिक्षा विभाग में करीब पौने चार लाख शिक्षक हैं। इसमें से थर्ड ग्रेड शिक्षकों की तादाद एक लाख अस्सी हजार के करीब हैं मगर सरकार के ट्रांसफर पॉलिसी में यही उपेक्षित है।

- **प्रारंभिक-माध्यमिक शिक्षा विभाग में करीब पौने चार लाख शिक्षक हैं, इसमें से थर्ड ग्रेड शिक्षकों की तादाद एक लाख अस्सी हजार के करीब हैं**
- **शिक्षा के साथ ही चिकित्सा, विद्युत, जलदाय व पंचायतीराज सहित अन्य विभागों के कर्मचारी पारदर्शी तबादलों का इंतजार कर रहे हैं**
- **पंजाब, हरियाणा, केरल, दिल्ली सहित कई राज्यों में शिक्षा सहित अन्य विभागों के कर्मचारियों के तबादलों के लिए नीति बनी हुई है**

प्रदेश में व्याख्याता करीब 55 हजार हैं। सैकंड ग्रेड के शिक्षक करीब एक एक लाख के आसपास है। 19 हजार के करीब प्रिंसिपल हैं। 12 हजार के करीब वाइस प्रिंसिपल हैं। इनके इतर सात लाख सरकारी कर्मचारियों को ट्रांसफर के लिए भाजपा सरकार ने आते ही ट्रांसफर का मौका दे दिया मगर शिक्षा विभाग तक ट्रांसफर खुलने वाली गाइडलाइन मान्य नहीं हुई। ऐसे में खबर चली कि मई-जून में सरकार अन्य कर्मचारियों के साथ शिक्षा विभाग में भी ट्रांसफर खोलेगी, मगर अब स्कूल खुलने में सिर्फ सात दिन ही शेष है। ऐसे में अब शिक्षकों के चेहरे पर मायूसी छा गई है। थर्ड ग्रेड शिक्षकों की परेशानी इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि इनके ट्रांसफर पर बैन सात साल पहले खुला था। उसके बाद प्रदेश के तमाम सरकारी कार्मिकों को कई बार मनचाही पोस्टिंग का मौका मिला मगर सबसे बड़ा शिक्षकों का वर्ग अभी भी एच्छिक पोस्टिंग नहीं ले पा रहा। इनकी परेशानी सिर्फ ट्रांसफर नहीं बल्कि पदोन्नति की भी है।

प्रदेश में तबादला नीति एक बड़ा मुद्दा है। गहलोत शासन में अनेक बार शिक्षक तबादला नीति को लेकर घोषणा हुई, लेकिन नीति नहीं बन सकी। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 28 अक्टूबर 2024 को शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में जयपुर में शिक्षक तथा कर्मचारी संगठनों की बैठक में स्थानांनतण नीति का डेमो दिखाया गया, लेकिन शिक्षक स्थानांतरण नीति अभी तक नहीं बनाई जा सकी है। नीति नहीं होने से शिक्षा के साथ ही चिकित्सा, विद्युत, जलदाय व पंचायतीराज सहित अन्य विभागों के कर्मचारी पारदर्शी तबादलों का इंतजार कर रहे हैं। राज्य में स्पष्ट नीति के अभाव में कभी भी तबादलों का दौर शुरू शुरू हो जाता है और कभी भी लॉक हो जाता है, जबकि पंजाब, हरियाणा, केरल, दिल्ली सहित कई राज्यों में शिक्षा सहित अन्य विभागों के कर्मचारियों के तबादलों के लिए नीति बनी हुई है। जानकारी के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण सहित अन्य न्यायालयों में हर साल औसतन 15 हजार मामले अधिकारी और कर्मचारियों के तबादले के पहुंचे रहे हैं।

समाजसेवी का मरणोपरांत नेत्रदान कराया

कोटा, (निसं)। शाइन इंडिया फाउंडेशन के जागरूकता अभियान से, अब शोक की घटना होते ही परिवार के सदस्य सबसे पहले दिवंगत के नेत्रदान करवाने का प्रयास करते है, जिससे परिवार का शोक कुछ कम हो सके।

सोमवार देर रात राजेंद्र बुक डिपो, भवानीमंडी निवासी, समाजसेवी राजेंद्र नाहर का आकस्मिक निधन हुआ, परिवार के करीबी सदस्य राजेश और आदित्य नाहर ने राजेंद्र के नेत्रदान करवाने के लिए भारत विकास परिषद आदर्श शाखा के सचिव यश नाहर में संस्था शाईन इंडिया फाउंडेशन के शहर संयोजक कमलेश गुप्ता दलाल को देर रात सूचना दी। नेत्रदान के लिए, राजेंद्र की पत्नी शकुंतला देवी, पुत्री श्रद्धा, नम्रता, पुत्र नितिन की सहमति प्राप्त होते ही कोटा से, डॉ.कुलवंत गौड़ ज्योतिरथ से सुबह रवाना हुए और परिवार के सभी सदस्यों के बीच में नेत्रदान की प्रक्रिया को संपन्न किया। राजेंद्र की नेत्रदान प्रक्रिया को परिवार की सभी महिलाओं, बच्चों और उपस्थित रिश्तेदारों ने करीब से देखा। शहर संयोजक कमलेश दलाल ने बताया कि, राजेंद्र का नेत्रदान क्षेत्र का 143 वां नेत्रदान हैं।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

बुधवार 25 जून, 2025

आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, अमावस्या, बुधवार, विक्रम संवत 2082, मृगशिरा नक्षत्र दिन 10:41 तक, गंड योग प्रात: 6:00 तक, नाग करण सायं 4:02 तक, चन्द्रमा आज मिथुन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मिथुन, चन्द्रमा-मिथुन, मंगल-सिंह, बुध-कर्क, गुरू-मिथुन, शुक्र-मेष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज सवार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से दिन 10:41 तक है। आज आषाढ़ी अमावस्या, देव पितृकार्या अमावस्या है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:04 तक, शुभ 10:46 से 12:29 तक, चर 3:54 से 5:37 तक, लाभ 5:37 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 5:38, सूर्यास्त 7:20

मेष
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आर्थिक मामलों में परिचितों से सहयोग मिल सकता है। घर-परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा।

कर्क
व्यक्तिगत परेशानियों के कारण मन में असंतोष बना रहेगा। आज अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। घर-गृहस्थी के खर्चों में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

सिंह
आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बना रहेगा। आय में वृद्धि होगी। आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

कन्या
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक परेशानियां दूर होने लगेगी। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

वृश्चिक
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में परेशानी हो सकती है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा।

धनु
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा।

मकर
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ
परिवार में आपसी ईर्ष्या-वैमनस्यता के कारण परेशानी हो सकती है। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।